




(59)

माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० गवालियर औरंगज़ीवा



१- बेंजामिंद मृतक वारिशान-

श्रीमति पीताम्बर प्रसाद पटेल उम्र 63 वर्ष,
श्रीमति नन्दलाल पटेल उम्र 56 वर्ष

श्रीमती इन्द्रबसुआ पत्नी शिवराम पटेल निवासी ग्राम दनगढ़ तहसील
मजांज जिला रीवा म०प्र०

श्री सनत कुमार पिता सत्यशरण निवासी ग्राम छेरा कनकेश्वरा तहसील
मजांज जिला रीवा म०प्र०

२- सरण्ड मृतक द्वारा वारिशान-

श्रीमति रामसिंहा पटेल उम्र 65 वर्ष,
श्रीमति भैयालाल पटेल उम्र 56 वर्ष,

श्रीगंगार हीर प्रसाद पिता जानकी उम्र 40 वर्ष,

श्रीमती सुगनी पुत्री सरण्ड एवं पत्नी रामखेलाघन पटेल साठ दनगढ़ तहसील
मजांज जिला रीवा म०प्र०

तीनो निवासी ग्राम भलुआ
तहसील मजांज जिला रीवा म०

..... अनावेदक गण


बनाम

मुस० नोहरी विधिवा यहनारायण मृतक द्वारा वारिशान -

श्री मती कल्ली पुत्री नोहरी एवं पति रामगण पटेल साठ छेरा कनकेश्वरा
तहसील मजांज जिला रीवा म०प्र०

श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री नोहरी एवं पत्नी निकेणी ग्राम बरेहा
तहसील सिरमोर जिला रीवा म०प्र०

..... अनावेदिका गण



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1671—चार / 2008

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२१-३-२०१७	<p>उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 123/अपील/85-86 में पारित आदेश दिनांक 30-10-2008 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ आवेदक अभिभाषक ने लिखित तर्क मुख्य रूप से तर्क दिया है कि आवेदक पीताम्बर प्रसाद पटेल, बैजनाथ पटेल और रामसिंह व अन्या के पिता सरजू ने व्यवार न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर अतिरिक्त तहसीलदार के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसपर आवेदकगण के पिता बैजनाथ व सरजू के नाम आदेश दिनांक 4-5-84 को नामांतरण आदेश पारित हुआ। जिसके विरुद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे आदेश दिनांक 29-3-85 को अवधि बाधित मानकर निरस्त की गई। अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील की गई जिसे अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 30-10-08 को अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त द्वारा मृत व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है। तर्क में यह भी आधार लिया कि</p>	

प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा समय—सीमा पर पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में गुण—दोषों के आधार पर द्वितीय अपील में निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

3/ अनावेदक अभिभाषक ने लिखित तर्क में मुख्य रूप से तर्क किया कि आवेदकगण के पिता बैजनाथ एवं सरजू ने अनावेदिका नोहरी के वारिसों शोभनाथ व छोटेलाल को उनकी भूमि से संघित विवाद होने के कारण हाल में पक्षकार बनाया है। नोहीद के वसीयतनामा के आधार पर छोटेलाल व शोभनाथ के नाम 6 किता भूमियों का नामान्तरण हो गया था। यह भी तर्क दिया कि नोहरी ने आवेदक सरजू व बैजनाथ के विरुद्ध दावा किया था जिसमें कुछ भूमियों के सम्बन्ध में नोहरी के पक्ष में डिकी हुई थी किन्तु सरजू व बैजनाथ के पक्ष में किसी भी नम्बर के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय से डिकी नहीं हुई बल्कि राजीनामा प्रस्तुत होने के बाद भी नोहरी का नाम यथावत रखा जाकर दावा निरस्त किया गया था जिससे दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर सरजू एवं बैजनाथ को कोई हक प्राप्त नहीं हुआ। तर्क में यह भी कहा कि अपर आयुक्त ने प्रकरण को गुण—दोष पर निराकरण करने के बाद प्रत्यावर्तित किया है। अपर आयुक्त के आदेश से जो भी वारिसान बैजनाथ व सरजू के हैं उन्हें तहसील न्यायालय में पूर्ण सुनवाई का अवसर प्राप्त होगा। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के

अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने आवेदक के आवेदन पर नामांतरण आदेश पारित किया जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने यह निष्कर्ष निकाला है कि व्यवहार न्यायालय से आवेदकगण के पक्ष में कोई निर्णय नहीं दिया है जबकि विचारण न्यायालय ने आवेदकगण के पक्ष में हुये नामांतरण आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुये निरस्त किये हैं और प्रकरण विचारण न्यायालय की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया उभय पक्षों को विधिवत् सुनवाई का अवसर देकर गुण-दोषों पर आदेश पारित करें। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण दोनों पक्षों को सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जिसमें कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। जहां तक आवेदक अभिभाषक उठाये गये इस तर्क का प्रश्न है कि अपर आयुक्त द्वारा मृत व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश पारित किया है, उचित नहीं है क्योंकि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदकगण एवं उनके अभिभाषक लगातार उपस्थित होते रहे। उनके द्वारा पक्षकारों की मृत्यु की जानकारी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई, अतः अब इस न्यायालय में प्रकरण में यह आधार लिया जाना उचित नहीं है। चूंकि यह प्रकरण भूमि के नामांतरण से संबंधित है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित किया है और प्रत्यावर्तित प्रकरण में सभी वारिसों को रिकार्ड पर लिया जाकर उभय पक्ष की सुनवाई की जायेगी। ऐसी स्थिति में इस निगरानी प्रकरण में यह आधार नहीं लिया जा सकता कि आधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश होने से निरस्त किया जा जाये। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त का आदेश कोई अंतिम आदेश नहीं है क्योंकि अपर आयुक्त ने प्रकरण

को विचारण न्यायालय उभय पक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर गुण—दोषों के आधार पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया है जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 30-10-08 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।


(एस०एस० अली)
सदस्य

